बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 2

मंगलवार, तिथि 15 फाल्गुन, 1939 (श.)
06 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 11

1.	स्वास्थ्य विभाग	-	-	09
2.	ऊर्जा विभाग	-	-	02
			कुल योग –	11

नियन्त्रण सुनिश्चित

38. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित पी.एम.सी.एच. में मरीजों एवं उनके परिजनों की शिकायत के बावजूद भी डॉक्टरों के लेट से पहुंचने का सिलसिला जारी है;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 08.01.2018 को सोमवार के दिन कड़कड़ाती ठंड में मरीज 8 बजे सुबह से कतार में खड़े थे लेकिन सुबह 10 बजे तक कई डॉक्टर नहीं पहुंचे थे, जिसकी शिकायत मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से की थी, इसके बावजूद अभी भी डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, जिसका कुप्रभाव मरीजों पर पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मरीजों के हित में उच्च पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन औचक निरीक्षण करने की प्रक्रिया सक्रिय कर डॉक्टरों के आगमन-प्रस्थान के समय पर नियंत्रण सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अविलम्ब कार्रवाई

39. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि चिकित्सा महाविद्यालयों के हड्डी रोग विभाग में सह प्राध्यापक के वर्तमान सृजित एवं स्वीकृत पदों की संख्या 27 के विरुद्ध 12 अर्हता प्राप्त चिकित्सक शिक्षक भूतलक्षी प्रभाव से सह-प्राध्यापक के पद पर 24.3.2004 को नियमित हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सह-प्राध्यापक के पद पर नियुक्त नियमित 12 में से 9 सह-प्राध्यापक को 11.12.14 एवं 20.05.2009 को प्रोन्नति एवं 3 सह-प्राध्यापकों सर्वश्री डॉ. भरत सिंह, पटना चिकित्सा महाविद्यालय (2) डा. सत्यनारायण सर्राफ, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं (3) डा. विनोद कुमार सिंह को 7.8.2013 से प्रोन्नति दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विभागीय संचिका सं.-17/ए 1-17/98 (खंड) 34(17), दिनांक 17.01.2018 स्वा. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के हड्डी रोग विभाग में सह-प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु अधिसूचना सं. 105, दिनांक 25.01.2017 एवं संशोधित अधिसूचना सं.-106, दिनांक 27.01.2017 के द्वारा विभागीय पदाधिकारी की अत्यंत गंभीर लापरवाही तथा बेईमानी की गई है, सरकार उक्त अधिसूचना को रद्द करते हुए सभी 12 हड्डी रोग विभाग के सह प्राध्यापकों को एक दिनांक से प्रोन्नति हेतु आदेश देते हुए लापरवाह पदाधिकारियों पर अविलम्ब कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई

40. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में तीन वर्षों से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट लागू है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना स्थित बाईपास में अवस्थित सैकड़ों निजी अस्पताल इस ऐक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इस ऐक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होने से इन निजी अस्पतालों को मरीजों को लूटने की खुली छूट मिली हुई है;

(घ) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से इन निजी अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट ऐक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रोन्नति प्रदान

41. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग में औषधि नियंत्रण प्रशासन के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक का संवर्ग नहीं बनने के कारण विगत 50 वर्षों से अबतक औषधि निरीक्षकों को कोई भी प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है और वे औषधि निरीक्षक के पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में औषधि निरीक्षकों का संवर्ग नियमावली बनने के बाद वरीयता क्रमानुसार कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनकी प्रोन्नति सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर दी गयी किन्तु उन्हें उक्त पद के लाभ से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2017 की बैठक में निर्णय लिया गया कि औषधि निरीक्षकों का सहायक औषधि नियंत्रक एवं उप औषधि नियंत्रक के पद पर देय प्रोन्नति नवम्बर माह तक दे दी जाएगी किन्तु अबतक लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियमानुसार औषधि निरीक्षकों को नियमित रूप से सहायक औषधि नियंत्रक एवं वरीयतानुसार उप औषधि नियंत्रक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कर्मियों पर कार्रवाई

42. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के प्रखंड मैनाटांड़ अन्तर्गत पिड़ारी बाजार में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि पिड़ारी बाजार स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं जाते हैं जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण जनता पोलियो टीका इत्यादि स्वास्थ्य लाभ से वंचित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच कराकर उप स्वास्थ्य केन्द्र, पिड़ारी बाजार, मैनाटांड़ (पश्चिमी चम्पारण) में नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहती है;

बिजली देने का लक्ष्य

43. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने विभाग की बिजली कंपनी को राज्य में कुल बिजली खपत का 17 प्रतिशत गैर-परंपरागत बिजली देने का आदेश दिया था;

(ख) क्या यह सही है कि कंपनी को 17 प्रतिशत गैर-परंपरागत बिजली में 8 प्रतिशत सोलर से और 9 प्रतिशत पनबिजली बायोगैस एवं पवन ऊर्जा से देनी थी;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही से कंपनी वर्ष 2016-17 में 6.50 प्रतिशत और वर्ष 2017-18 में 7.75 प्रतिशत ही गैर-परंपरागत बिजली दे पाई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई कर राज्य में गैर-परंपरागत बिजली देने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

आवास का जीर्णोद्धार

44. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंडारक स्थित चिकित्सक आवास की स्थिति जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पंडारक ने अपने पत्रांक-298, दिनांक 23.08.2017 के द्वारा अधीक्षक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बाढ़, पटना को 8 बिन्दुओं पर ध्यानाकृष्ट कराया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सक आवास का जीर्णोद्धार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भवन का निर्माण

45. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत रासपुर पतसिया में अति.प्रा.स्वा.केन्द्र कार्यरत है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि महामहिम के नाम निबंधित है तथा इसी भूमि पर भवन निर्माण हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक, समस्तीपुर द्वारा निबंधित भूमि पर भवन रासपुर पतसिया अति.प्रा.स्वा.केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्युत आपूर्ति

46. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार हर घर को बिजली देने के लिए तत्पर है;

(ख) क्या यह सही है कि अखिलेश नगर पश्चिमी रोड नं.-2 कमलदह पथ, अगमकुआं, पटना के कई उपभोक्ता को पोल के अभाव में दूसरे के घर पर तार टांगकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथ में डा. रामगुलाम मिश्र के घर के पास स्थित पोल से 8 (आठ) घरों को विद्युत आपूर्ति करने के कारण बॉक्स जल गया है;

(घ) क्या यह सही है कि बॉक्स जले लगभग साल भर बीत जाने के बावजूद आजतक बॉक्स नहीं बदला जा सका है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ में शीघ्र पोल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई पर आदेश

47. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक 62/गो., दिनांक 07.01.2018 के द्वारा सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा को डाटा मैनेजर, सदर अस्पताल, आरा के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार यह बताए कि जिला पदाधिकारी के पत्र के आलोक में सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

कारगर कदम

48. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय सह अस्पताल में पदस्थापित स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति लंबे समय से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति के कारण चिकित्सकों के अभाव में राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय के संचालन पर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि कर्मियों की कमी के कारण इस अस्पताल ने सी. सी. आई. एम., दिल्ली से मान्यता गंवा दी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय का अस्तित्व बचाने के लिए ठोस व कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार

पटना — सचिव

दिनांक : 06 मार्च, 2018 — बिहार विधान परिषद्